**देश में किसानों द्वारा आत्महत्या किया जाना**

*31. **श्री रामदेव भंडारी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किसानों द्वारा आत्महत्या करने के कितने मामले, राज्य-वार, सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) किसानों द्वारा आत्महत्याएं करने के प्रमुख कारण क्या है;

(ग) क्या सरकाअर को इस संबंध में पर्व जानकारी थी; यदि हां, तो इन्हें रोकने के लिए क्या उपाय किए गए थे;

(घ) किसानों को दिए गए मुआवजे का प्रति किसान, राज्यवार, ब्यौरा क्या है; और

(ड़) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल** ) : (क) से (ड़) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टो के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों की क्षति के परिणामस्वरुप, किसानों द्वारा आत्महत्या किए जान की घटनाएं हुई हैं। आन्ध्र प्रदेश में 236, कर्नाटक में 29 तथा महाराष्ट्र में 51 किसानों द्वारा आत्महत्या करने की सूचना मिली है। इसके मुख्य कारण मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के फलस्वरुप फसलों को हुई क्षति और कीट आक्रमण तथा किसानों की ऋणग्रस्तता है।

आत्महत्या से हुई मौतों के बारे में भारत सरकार को कोई पूर्व सूचना नहीं थी। इसके अलावा, प्राथमिक रुप से यह संबंधित राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करें। इस प्रयोजन के लिए, आपद राहत निधि के अन्तर्गत राज्यों के पास आबंटन उपलब्ध रहता है जिसमें केन्द्र और राज्य 3:1 के अनुपात में वार्षिक रुप से अंशदान करते हैं। केन्द्र का हिस्सा 4 बराबर की त्रैमासिक किस्तो में निर्मुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त , राज्यों को अत्याधिक गम्भीर आपदा के मामले में, जहां कहीं भी जरुरी हो, राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 236 सूचित मौतों में से 142 के मामलों में अनुग्रह धनराशि स्वीकृत की है, 61 मामलों में विचार नहीं किया गया तथा 33 मामलों में फिर से जांच की जा रही है। कर्नाटक सरकार ने फसलों की क्षति के परिणामस्वरुप आत्महत्या के कारण 13 मौतें होने की पुष्टि कि है। महाराष्ट्र सरकार ने आत्महत्या के

ऐसे 12 मामलों की पुष्टि की है जिनका फसल की क्षति से सीधा संबंध है तथा सात मामलों में इस क्षति से कुछ संबंध पाया है।

आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने प्रभावित कृषक परिवारोम के लिए राहत का निम्नलिखित पैकेज घोषित किया है:-

(1) इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत एक मकान सुलभ कराना (2) बच्चों की निवासी स्कूलों तथा होस्टलों में प्रवेश दिलाना (3) यदि कोई बैंक ऋण हो तो उन्हें पुनः निर्धारित करना (4) परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों को समाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पेंशन और (5) प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि देना।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उन किसानोम को सहायता देने के लिए भी उपाय किए हैं जो फसलों की क्षति के कारंण ऋण के जाल में फंसे हुए है। इनमें निम्नलिखित शामिल है:-

(1) प्रभावित किसानों से दि वर्ष की अवधि के लिए कृषि ऋण के मूलधन या ब्याज की कोई वसूली नहीं की जाएगी (2) इन दो वर्षों के दौरान वसूल न की गई धनराशियों को सात वर्ष की अवधि में वसूल करने के लिए पुनर्निधारित किया जाएगा (3) प्रभावित किसानों को जिला स्तरीय समिति द्वारा हाल ही में संशोधित धन व्यवस्था के बढ़े हुए प्रतिमानों पर बैंक तत्काल नए फसल ऋण देगे (4) जो छोटे और सीमान्त किसान डी. आर. आई. योजना के अन्तर्गत पात्र हैं उनके लिए ब्याज दर घटाकर 4 प्रतिशत कर दी जाएगी (5) पुनः निर्धारित ऋणों के संबंध में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाया जाएगा और न ही बैंक कोई दान्डिक ब्याज लगाएंगे तथा यदि दाण्डिक ब्याज लगाया गया तो उसे माफ कर देंगे।

कर्नाटक सरकार ने फसल की क्षति से संबंधित आत्महत्या के 13 मामलों में प्रत्येक को 1.00 लाख रु की अनुग्रह राहत की स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने प्रभावित छोटे और सीमान्त किसानों को आदान राजसहायता के रुप में 4.00 करोड़ रुप कि एकमुश्त सहायता निर्मयुक्त की है।

महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे 12 मामलों में प्रत्येक मृतक के परिवार को 1.00 लाख रु का भुगतान किया है। जिनमें फसल की क्षति/ ऋणग्रस्तता के साथ सीधे संबंध के कारण आत्महत्या की गई थी। राज्य सरकार ने ऐसे सात मामलोम में प्रति परिवार 50,000/-रुं का भुगतान किया है जिनमें फसल की क्षाति का कुछ संबंध था।

जैसा कि पहले बताया गया है यह राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपयुक्त उपाय करें। केन्द्र सरकार समय-समय पर नियुक्त वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर अतिरिक्त संसाधन प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में केवल सहायता देती है।

यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि आन्ध्र प्रदेश के संबंध में एक अन्तर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल, प्रैद्योगिकविदो/ वैज्ञानिकों की एक उच्च स्तरीय समिति और किसानों कि ऋणग्रस्तता से उत्पन्न विपत्ति की जांच के लिए एक अध्ययन दल ने एकीकृत कीट प्रबन्ध प्रणालियों, किसानों के लिए जागरुकता कार्यक्रम, फसल्ल प्रतिमान, कीटनाशकों के प्रयोग, जनशक्ति के प्रशिक्षण आदि से संबंधित कई सिफारिशें की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके । इन सिफारिशों पर अनुवती कार्रवाई की जा रही है।

**Tragedy during the recent Haj Yatra**

*32. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a)whether Government have sought a comprehensive report on the reported tragedy during the recent Haj Yatra involving lives of one hundred and odd persons including 31 Indians;

(b)whether such tragedies have been a recurrent phenomena;

(c)if so, the details of tragedies that took heavy toll of human lives during the last one decade;

(d)the details of steps proposed to be taken for avoiding foreseen tragedies in future through better management of crowds in future; and

(e)the suggestions sent from India to the Organisers of the Committee?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRIMATI VASUNDHRA RAJE): (a) Yes, Sir. Reports on the stampede which took place in Mina on 9th April, 1998, in which 32 Indian pilgrims died, have been received from our Embassy in Riyadh and the Consulate General, Jeddah.

(b) to (c) Details of tragedies that occurred during Haj in the last one decade:

(i) *July 2, 1990:* 1,426 pilgrims were killed in a stampede in the *Al Muaisscm* Tunnel, of whom 11 were Indians.

(ii) *May 23, 1994: A* stampede occurred at Mina killing 270 pilgrims, including 31 Indians.

(iii) *April 15, 1997:* The tents accommodating Hajis at Mina caught fire killing about 350 pilgrims, of whom 184 were Indians.

(iv) *April 9, 1998: A* stampede occurred at Mina killing 114 pilgrims, including 32 Indians.

The Saudi Government, which is primarily concerned with the security and welfare of the pilgrims, has made strenuous efforts to improve Haj arrangements every year. The entire Jamaraat area was greatly expanded following the tragedy in 1994 in which 270 pilgrims had been killed. The width of the Jamaraat bridge had also been increased to 85 meters, and two outlets from the bridge, each with a width of 4 meters, were constructed.

Indian Haj officials as well as members of the Indian Haj Goodwill delegation have been discussing arrangements at the Jamaraat with the Saudi Haj authorities. It is the view of the Saudi authorities, with which Government concurs, that, given the very large number of pilgrims performing the ritual of the stoning at the same time, mere expansion of existing facilities may not be the answer: the pilgrims have to be trained to adopt more effective' measures to avoid stampedes. Government has decided that the training and orientation programmes that will be implemented for Haj '99 shall include detailed advice to pilgrims about safety measures, both to prevent stampedes and to avoid getting caught in them.